



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252864
CG-DL-E-12032024-252864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945

No. 154]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

सा.का.नि.166(अ).—महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के संगम ज्ञापन के नियमों और विनियमों के खंड 24 के उपखंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार के अनुमोदन से, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान की कार्यकारी परिषद महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) में समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है: -

- संक्षिप्त शीर्षक/नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारी तथा कर्मचारी भर्ती नियम, 2024 कहा जाएगा। (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- अनुप्रयोग** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड, ग्रेड पे अथवा वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध पे बैंड, ग्रेड पे अथवा वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं एवं उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- आरंभिक गठन** (1) एमगिरी की नियमित स्थापना पर कार्यरत समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारी और कर्मचारी इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को उन तत्स्थानी पदों पर सम्यक रूप से नियुक्त किए समझे जाएंगे जिन्हें वे उस तारीख को नियमित आधार पर धारित थे। (2) ऐसे अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता जिन्हें आरंभिक गठन पर नियुक्त किया गया है, उनकी अपनी-

अपनी श्रेणियों में नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार, इस शर्त के अधीन रखते हुए, अवधारित की जाएगी कि उनकी-अपनी-अपनी श्रेणियों में उनकी परस्पर वरिष्ठता पर कोई व्यवधान न डाला जाए। निर्धारित की जाएगी, इस शर्त के अधीन कि उनके संबंधित ग्रेडों के भीतर उनकी परस्पर वरिष्ठता में गड़बड़ी नहीं होगी। (3) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की इन नियमों के अधीन आरंभिक गठन में उनकी नियुक्ति से पूर्व की नियमित निरंतर सेवा को, परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टिकरण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. अपात्रता- कोई व्यक्ति नहीं

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह किया है, या अनुबंध किया है, वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात के लिए संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. छूट देने की शक्ति- जहाँ स्वायत्तशासी निकाय की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उनके केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से जो काम उन्हें लेखबद्ध करने, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश से छूट प्रदान कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति- इन नियमों में कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रावधान करना अपेक्षित है।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम, 2024

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक	*06 (2024) (* प्रत्येक विभाग में एक, जैसा कि कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित है (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है))	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-13	लागू नहीं	पचास वर्ष से अधिक नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट। नोट 1 - आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम,	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री 1. खादी एवं वस्त्र प्रभाग- वस्त्र प्रौद्योगिकी/ वस्त्र अभियांत्रिकी/वस्त्र मैनुफैक्चरिंग(निर्माण)/कपड़ा(फैब्रिक) या परिधान डिजाइनिंग/परिधान मैनुफैक्चरिंग/ वस्त्र रसायन या प्रसंस्करण में मास्टर डिग्री या रसायन अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री। या समकक्ष योग्यता। 2. जैव प्रसंस्करण एवं जड़ी-बूटी प्रभाग - वनस्पति विज्ञान/पादप विज्ञान /प्राणीशास्त्र (जूलॉजी)/ जैव-प्रौद्योगिकी /माइक्रो-बायोलॉजी में एम.एससी या फाइटो-केमिस्ट्री / मेडिसिनल प्लांट केमिस्ट्री/ खाद्य प्रौद्योगिकी में एम.एससी, फार्माकोग्रॉसी/फार्मास्युटिक्स/कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में एम.फार्मा, प्रासंगिक आयुर्वेदिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। या समकक्ष योग्यता।

				मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	<p>3. रासायनिक ग्रामोद्योग प्रभाग – रसायन विज्ञान के विभिन्न विषयों (ऑर्गेनिक / इनऑर्गेनिक / जैव रसायन/ पर्यावरण रसायन विज्ञान/ कॉस्मेटिक विज्ञान / पॉलिमर विज्ञान) में एम.एससी. या पर्यावरण विज्ञान / प्रासंगिक जैव / लाइफ साइंस में एम.एससी. या रासायनिक अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी / पॉलिमर प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>4. ग्रामीण शिल्प एवं अभियान्त्रिकी प्रभाग- मशीन डिजाइन/उत्पाद डिजाइन में बी.टेक के साथ एम.टेक./एम.ई./एम.डिस। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>5. ग्रामीण ऊर्जा एवं अवसंरचना प्रभाग – मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर/मशीन डिजाइन/ऊर्जा/सिविल/ पर्यावरण/पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी /उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों में बी.ई./बी.टेक के साथ एम.ई./एम.टेक। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>6. प्रबंधन एवं व्यवस्थापन प्रभाग - कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / सूचना प्रौद्योगिकी / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / कंप्यूटर अभियान्त्रिकी / डेटा साइंस / इंटरनेट ऑफ थिंग्स / एम.बी.ए. या प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>अनुभव: मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव</p>
--	--	--	--	--	---

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता: हाँ	01 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिनके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा नोट : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन	प्रोन्नति: संबंधित विभाग के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, लेवल- 12 ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा या वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, लेवल-11 ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा	पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	लागू नहीं

		<p>अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>या प्र. वै. अधिकारी (लेवल- 12) और व. वै. अधिकारी (लेवल- 11) में दस वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारी –</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक या</p> <p>(ii) पे मैट्रिक्स लेवल 12 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>(iii) पे मैट्रिक्स लेवल 11 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले।</p> <p>नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अपने उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>नोट 2: पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, किसी अधिकारी द्वारा उस तिथि से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिससे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, को विस्तारित तदनुसूची वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।</p>	<p>मंत्रालय - अध्यक्ष।</p> <p>2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो – सदस्य।</p> <p>3. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान – संयोजक।</p>	
--	--	--	---	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	*06 (2024) (*) प्रत्येक विभाग में एक, जैसा कि कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित है (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-12	लागू नहीं	पचास वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट।) नोट 1 - आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री 1. खादी एवं वस्त्र प्रभाग - वस्त्र प्रौद्योगिकी/ वस्त्र अभियांत्रिकी/वस्त्र मैनुफैक्चरिंग(निर्माण) /कपड़ा(फैब्रिक) या परिधान डिजाइनिंग/ परिधान मैनुफैक्चरिंग/ वस्त्र रसायन विज्ञान या प्रसंस्करण में मास्टर डिग्री या केमिकल अभियांत्रिकी में मास्टर या समकक्ष योग्यता। 2. जैव प्रसंस्करण एवं जड़ी-बूटी प्रभाग - वनस्पति विज्ञान में /पादप विज्ञान/ प्राणीशास्त्र (जूलॉजी)/ जैव प्रौद्योगिकी/ माइक्रो-बायोलॉजी या फाइटो-केमिस्ट्री में एम.एससी. / मेडिसिनल प्लांट केमिस्ट्री /खाद्य प्रौद्योगिकी, फार्माकॉगनोसी / फार्मास्यूटिक्स में एम. फार्मा/कॉस्मेटिक प्रौद्योगिकी, प्रासंगिक आयुर्वेदिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता। 3. रासायनिक ग्रामोद्योग प्रभाग - रसायन विज्ञान के विभिन्न विषयों (ऑर्गेनिक /इनऑर्गेनिक/ जैव रसायन/ पर्यावरण रसायन विज्ञान / कॉस्मेटिक विज्ञान / पॉलिमर विज्ञान) में एम.एससी. या पर्यावरण विज्ञान / प्रासंगिक जैव / लाइफ सायन्सेस में एम.एससी. या रासायनिक अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी / पॉलिमर प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। या समकक्ष योग्यता। 4. ग्रामीण शिल्प एवं अभियान्त्रिकी प्रभाग- मशीन डिजाइन/ डिजाइन में बी.टेक के साथ एम.टेक./एम.ई./ एम.डिस। या समकक्ष योग्यता। 5. ग्रामीण ऊर्जा एवं अवसंरचना प्रभाग- मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर/मशीन डिजाइन/ऊर्जा/सिविल/ पर्यावरण/पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी / उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों में बी.ई./बी.टेक के साथ एम.ई./एम.टेक। या समकक्ष योग्यता।

						<p>6. प्रबंधन एवं व्यवस्थापन प्रभाग - कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / सूचना प्रौद्योगिकी / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / कंप्यूटर अभियांत्रिकी / डेटा साइंस / इंटरनेट ऑफ थिंग्स / एम.बीए या प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। । या समकक्ष योग्यता। अनुभव: मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव</p>
--	--	--	--	--	--	--

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ	01 वर्ष	<p>प्रोन्नति द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिनके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>प्रोन्नति: वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी लेवल - 11 ग्रेड में संबंधित विभाग से पांच वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारी –</p> <p>(क) (i) नियमित आधार के समकक्ष पद धारक या</p> <p>(ii) लेवल 11 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले।</p> <p>नोट 1: पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, किसी अधिकारी द्वारा उस तिथि से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिससे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन</p>	<p>पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>1 सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - अध्यक्ष।</p> <p>2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो – सदस्य।</p> <p>3. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान – संयोजक।</p>	लागू नहीं

			संरचना को बढ़ाया गया है, को विस्तारित तदनुसूची वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।		
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	*06 (2024) (*) प्रत्येक विभाग में एक, जैसा कि कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित है (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-11	लागू नहीं	चालीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट।) नोट 1 - आयु सीमा के निर्धारण लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री 1. खादी एवं वस्त्र प्रभाग - वस्त्र प्रौद्योगिकी/ वस्त्र अभियांत्रिकी/वस्त्र मैनुफैक्चरिंग(निर्माण)/कपड़ा(फैब्रिक) या परिधान डिजाइनिंग/ परिधान मैनुफैक्चरिंग/ वस्त्र रसायन विज्ञान या प्रसंस्करण में मास्टर डिग्री या केमिकल अभियांत्रिकी में मास्टर या समकक्ष योग्यता। 2. जैव प्रसंस्करण एवं जड़ी-बूटी प्रभाग - वनस्पति विज्ञान /पादप विज्ञान/ प्राणीशास्त्र (जूलॉजी)/ जैव प्रौद्योगिकी/ माइक्रो-बायोलॉजी या फाइटो-केमिस्ट्री में एम.एससी. / मेडिसिनल प्लांट केमिस्ट्री /खाद्य प्रौद्योगिकी, फार्माकोग्रांसी / फार्मास्यूटिक्स में एम. फार्मा/कॉस्मेटिक प्रौद्योगिकी, प्रासंगिक आयुर्वेदिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता। 3. रासायनिक ग्रामोद्योग प्रभाग - रसायन विज्ञान के विभिन्न विषयों (ऑर्गेनिक /इनऑर्गेनिक/ जैव रसायन/ पर्यावरण रसायन विज्ञान / कॉस्मेटिक विज्ञान / पॉलिमर विज्ञान) में एम.एससी. या पर्यावरण विज्ञान / प्रासंगिक जैव / लाइफ सायन्सेस में एम.एससी. या रासायनिक अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी / पॉलिमर प्रौद्योगिकी में मास्टर। या समकक्ष योग्यता। 4. ग्रामीण शिल्प एवं अभियान्त्रिकी प्रभाग - मशीन डिजाइन/उत्पाद डिजाइन में बी.टेक के साथ एम.टेक./एम.ई./ एम.डिस। या समकक्ष योग्यता। 5. ग्रामीण ऊर्जा एवं अवसंरचना प्रभाग - मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर/मशीन डिजाइन/ऊर्जा/सिविल/ पर्यावरण/पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी /उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों में बी.ई./बी.टेक के साथ एम.ई./एम.टेक। या समकक्ष योग्यता। 6. प्रबंधन एवं व्यवस्थापन प्रभाग - कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / सूचना प्रौद्योगिकी / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / कंप्यूटर अभियांत्रिकी / डेटा साइंस / इंटरनेट ऑफ थिंग्स / एम.बीए या प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय में

				खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	मास्टर डिग्री। या समकक्ष योग्यता। अनुभव : मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव
--	--	--	--	---	---

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ	02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिनके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से	प्रोन्नति: उम्मीदवार, लेवल – 8 ग्रेड में संबंधित विभाग से आठ वर्ष की नियमित सेवा। या उम्मीदवार, संबंधित विभाग से लेवल- 6 ग्रेड में 12 वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारी – (क) (i) नियमित आधार के समकक्ष पद धारक या (ii) लेवल 10 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा। या लेवल- 08 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा। (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले।	पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1 संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - अध्यक्ष। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिकारी जो उप सचिव स्तर से कम न हो – सदस्य।	लागू नहीं

		प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	नोट 1: पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, किसी अधिकारी द्वारा उस तिथि से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिससे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, को विस्तारित तदनुरूपी वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।	3. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान – संयोजक।	
--	--	---	--	---	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सिस्टम मैनेजर	*01 (2024)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-8	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट) नोट 1 - आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री- कंप्यूटर साइंस/एमसीए/ अनुप्रयुक्त विज्ञान में मास्टर डिग्री या एमबीए या समकक्ष योग्यता। अनुभव : संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उम्र: नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं	02 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा; ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।	प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक निकाय या निगम या स्वायत्तशासी संगठन का अधिकारी – (क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक; या (ii) पे बैंड 2, लेवल -7 पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ या पे बैंड 2 लेवल - 6 में पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले।	पुष्टिकरण पर विचार हेतु समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान - अध्यक्ष। 2. एमगिरी का अधिकारी जो प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी स्तर से कम न हो - सदस्य 3. एमगिरी का संबंधित विभाग के उप निदेशक - संयोजक	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर- चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फोरमैन	*01 (2024)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसूचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-6	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट) नोट 1 - आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री- मैकेनिकल/ प्रोडक्शन/ इंडस्ट्रियल ट्रेड अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता अनुभव : उपर्युक्त अर्हताएं रखने वाले उम्मीदवारों के लिए संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। मैकेनिकल / प्रोडक्शन /इंडस्ट्रियल ट्रेड, अभियांत्रिकी में डिप्लोमा तथा मैकेनिक या समकक्ष में 5 वर्ष का अनुभव।

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उम्र: नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोन्नति : वरिष्ठ मैकेनिक (लेवल 5) ग्रेड में एमगिरी में छह वर्ष की नियमित सेवा। या मैकेनिक (लेवल 4) ग्रेड में एमगिरी में 10 वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारी- (क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक; या ii) पे बैंड - 1, लेवल 5 में पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा। या पे बैंड - 1, (लेवल 4) में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा। (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले। नोट 1: जहां पर ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता /पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अपने उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। नोट 2: पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, किसी अधिकारी द्वारा उस तिथि से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिससे केंद्रीय वेतन आयोग की	पुष्टिकरण पर विचार हेतु समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान - अध्यक्ष। 2. एमगिरी का अधिकारी जो प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी स्तर से कम न हो - सदस्य 3. एमगिरी के संबंधित विभाग का उप निदेशक - संयोजक	लागू नहीं

			सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, को विस्तारित तदनुरूपी वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।		
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी सहायक	*04 (2024) (*) प्रत्येक विभाग में एक, जैसा कि कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-5	लागू नहीं	पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट) नोट 1 - आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	<p>अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री -</p> <p>1. खादी एवं वस्त्र प्रभाग - वस्त्र प्रौद्योगिकी/ वस्त्र अभियांत्रिकी/वस्त्र मैनुफैक्चरिंग(निर्माण) / कपड़ा(फैब्रिक) या परिधान डिजाइनिंग/ परिधान मैनुफैक्चरिंग/ वस्त्र रसायन विज्ञान या प्रसंस्करण में सभी अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक डिग्री। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>2. जैव प्रसंस्करण एवं जड़ी-बूटी प्रभाग - लाइफ साइंसेज / बायोटनी / प्लांट साइंसेज / प्राणीशास्त्र (जूलॉजी) / जैव- प्रौद्योगिकी / माइक्रो-बायोलॉजी में एम.एससी या फाइटो केमिस्ट्री / मेडिसिनल प्लांट केमिस्ट्री / फूड टेक्नोलॉजी में एम.एससी। सभी अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ फार्माकोग्रॉसी/ फार्मास्यूटिक्स/कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में एम.फार्मा। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>3. रासायनिक ग्रामोद्योग प्रभाग - रसायन विज्ञान के विविध अनुशासनों (ऑर्गेनिक / इनऑर्गेनिक / जैव रसायन/ पर्यावरण रसायन विज्ञान / कॉस्मेटिक विज्ञान / पॉलिमर विज्ञान) में एम.एससी. या पर्यावरण विज्ञान में एम.एससी. या समग्र अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ केमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी / पॉलिमर प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>4. ग्रामीण ऊर्जा एवं अवसंरचना प्रभाग - समग्र अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर/मशीन डिजाइन/ऊर्जा/सिविल / पर्यावरण/पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी/उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों में बी.ई./बी.टेक। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव</p>

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उम्र: नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं	02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोन्नति : संबंधित विभागों से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (लेवल -4) ग्रेड में एमगिरी में पांच वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारी- (क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक या (ii) लेवल-4 के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा। (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले।	पुष्टिकरण पर विचार हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान - अध्यक्ष। 2. एमगिरी का अधिकारी जो प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी स्तर से कम न हो - सदस्य 3. एमगिरी के संबंधित विभाग का उप निदेशक - संयोजक	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ मैकेनिक	*02 (2024)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-5	लागू नहीं	पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट) नोट 1 - आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और	आवश्यक शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री - मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ औद्योगिक उत्पादन में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता अनुभव : संबंधित क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव

					स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	
--	--	--	--	--	--	--

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उम्र: नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं	02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत समकक्ष पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोन्नति : मैकेनिक (लेवल- 4) के ग्रेड में एमगिरी में पांच वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारी- (क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारी हो; या (ii) लेवल-4 के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा। (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले। नोट 1: पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु, किसी अधिकारी द्वारा उस तिथि से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिससे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, को विस्तारित तदनुसूची वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।	पुष्टिकरण पर विचार हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान - अध्यक्षा। 2. एमगिरी का अधिकारी जो प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी स्तर से कम न हो - सदस्य 3. एमगिरी के संबंधित विभाग का उप निदेशक - संयोजक	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मैकेनिक	*02 (2024)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-4	लागू नहीं	पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट) नोट 1 - आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री - टर्नर, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, फाउंट्री ट्रेड में आईटीआई या समकक्ष योग्यता अनुभव : संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उम्र: नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं	02 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा; नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा	प्रोन्नति : यह एंट्री लेवल पद है। कोई फीडर ग्रेड पद उपलब्ध नहीं है।	पुष्टिकरण पर विचार हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान - अध्यक्षा। 2. एमगिरी का अधिकारी जो प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी स्तर से कम न हो - सदस्य 3. एमगिरी के संबंधित विभाग का उप निदेशक - संयोजक	लागू नहीं

		कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।			
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	*04 (2024)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-4	लागू नहीं	पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट) नोट 1 - आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप खंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री - 1. खादी एवं वस्त्र प्रभाग - पूर्णतया अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ टेक्सटाइल केमिस्ट्री / प्रोसेसिंग/फैब्रिक या परिधान डिजाइनिंग/ परिधान मैनुफैक्चरिंग विज्ञान क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। या पूर्णतया अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग / टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग / फैब्रिक या गारमेंट डिजाइनिंग / गारमेंट मैनुफैक्चरिंग / टेक्सटाइल केमिस्ट्री या प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिप्लोमा। या समकक्ष योग्यता 2. जैव प्रसंस्करण एवं जड़ीबूटी प्रभाग - लाइफ साइंस (वनस्पति विज्ञान/पादप विज्ञान/ प्राणीशास्त्र (जूलॉजी) /जैव-प्रौद्योगिकी/ माइक्रो-बायोलॉजी) या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.एससी. या पूर्णतया अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ (फार्माकोग्रांसी/फार्मास्यूटिक्स/कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी) में बी. फार्मा.। या समकक्ष योग्यता। 3. रासायनिक ग्रामोद्योग प्रभाग - रसायन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों (जैविक/ अजैविक / जैव रसायन / पर्यावरण रसायन/ कॉस्मेटिक विज्ञान / पॉलिमर विज्ञान) में बी.एससी. या पूर्णतया अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ केमिकल इंजीनियरिंग और

						प्रौद्योगिकी / पॉलिमर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। या समकक्ष योग्यता। अनुभव : संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव
--	--	--	--	--	--	--

प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उम्र: नहीं शैक्षिक योग्यता: नहीं	02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रोन्नति : प्रयोगशाला सहायक (लेवल- 2) के ग्रेड में एमगिरी में आठ वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का कर्मचारी - (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारी हो; या (ii) पे बैंड 1, लेवल-2 के पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा। (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता रखने वाले।	पुष्टिकरण पर विचार हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान - अध्यक्ष। 2. एमगिरी का अधिकारी जो प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी स्तर से कम न हो - सदस्य 3. एमगिरी के संबंधित विभाग का उप निदेशक - संयोजक	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मौजूदा पे-बैंड ग्रेड पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला सहायक	*03 (2024)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुसूचिवीय	पे मैट्रिक्स लेवल-2	लागू नहीं	पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं, (सरकारी कर्मचारियों के लिए	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री -

				<p>पाँच वर्ष तक की छूट)</p> <p>नोट 1 - आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उपखंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर)।</p>	<p>1. खादी एवं वस्त्र प्रभाग - टेक्सटाइल केमिस्ट्री/ प्रोसेसिंग/फैब्रिक विज्ञान क्षेत्र में स्नातक डिग्री या पूर्णतया अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ परिधान डिजाइनिंग /परिधान मैनुफैक्चरिंग। या पूर्णतया अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग / टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग / फैब्रिक या गारमेंट डिजाइनिंग / गारमेंट मैनुफैक्चरिंग / टेक्सटाइल केमिस्ट्री या प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिप्लोमा। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>2. जैव प्रसंस्करण एवं जडीबूटी प्रभाग - लाइफ साइंस (वनस्पति विज्ञान/पादप विज्ञान/ प्राणीशास्त्र (जूलॉजी)/जैव-प्रौद्योगिकी/ माइक्रो-बायोलॉजी) या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.एससी. या पूर्णतया अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ (फार्माकोग्रांसी/फार्मास्यूटिक्स/कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी) में बी. फार्मा...। या समकक्ष योग्यता।</p> <p>3. रासायनिक ग्रामोद्योग प्रभाग - रसायन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों (ऑर्गेनिक /इनऑर्गेनिक / जैव रसायन / एनवायरमेंटल केमिस्ट्री / कॉस्मेटिक साइंस / पॉलिमर साइंस) में बीएससी या पूर्णतया अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी / पॉलिमर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। या समकक्ष योग्यता।</p>
--	--	--	--	---	---

क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उम्र: नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	02 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा; जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन	प्रोन्नति : यह एंट्री लेवल का पद है। कोई फीडर ग्रेड पद उपलब्ध नहीं है।	पुष्टिकरण पर विचार हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण	लागू नहीं

		अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सांविधिक प्राधिकरणों / स्वायत्तशासी निकायों के नियमित आधार पर कार्यरत पदधारी तथा कॉलम 7 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।		औद्योगीकरण संस्थान - अध्यक्ष। 2. एमगिरी का अधिकारी जो प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी स्तर से कम न हो - सदस्य 3. एमगिरी के संबंधित विभाग का उप निदेशक - संयोजक	
--	--	---	--	---	--

[फा. सं. जे/145/2023-केवीआई (2)]

विपुल गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2024

G.S.R. 166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clauses 1 and 2 of Clause 24 of the Rules and Regulations of the Memorandum of Association of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), and with the approval of the Central Government, the Executive Council of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A', 'B' and 'C' posts in the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI) as under:-

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization Group 'A', 'B' & 'C' Officers and Staff Recruitment Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale. - The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limits and qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Initial constitutions. — (1) Group 'A', 'B' and 'C' Officers and Staff working on regular establishment in MGIRI on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been duly appointed to the corresponding posts which they were holding on regular basis on that date. (2) The inter-se seniority of officials who are appointed at the initial constitution shall be determined as per the date of their regular appointment to respective grades subject to the condition that their inter-se seniority within their respective grades shall not be disturbed. (3) The regular continuous service of officers mentioned in Sub-rule (1) prior to their appointment at the initial constitution under these rules, shall count for the purpose of probation period, the qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax. - Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, with prior approval of the Central Government relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Rules, 2024 for the employees of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI)

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director	*06 (2024) (*) One in each division as mentioned in column No.7 (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'A' Non Ministerial	Pay Matrix Level-13	Not applicable	Not exceeding fifty years, Relaxable up to five years for Government servants. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes - 1. Khadi & Textile Division— Master degree in Textile Technology/ Textile Engineering/ Textile Manufacturing/ Fabric or Garment Designing/Garment Manufacturing/ Textile Chemistry or Processing or Masters in Chemical Engineering. OR Equivalent Qualification. 2. Bio-Processing & Herbal Division— M.Sc. in Botany/Plant Sciences/ Zoology/ Bio- Technology/ Micro-Biology or M.Sc. in Phyto-Chemistry/ Medicinal Plant Chemistry/Food Technology, M. Pharm. in Pharmacognosy/ Pharmaceuticals/ Cosmetic Technology, Masters in relevant Ayurvedic Sciences OR Equivalent Qualification.

					<p>Tripura, Sikkim,</p> <p>3. Rural Chemical Industries Division— M.Sc. in Various disciplines of Chemistry (Organic/ Inorganic/ Bio Chemistry/ Environmental Chemistry/Cosmetic Science/ Polymer Science) or M.Sc. in Environmental Sciences/Relevant Bio/ Life - Sciences or Master in Chemical Engineering and Technology/ Polymer Technology OR Equivalent Qualification.</p> <p>4. Rural Craft & Engineering Division – B. Tech with M. Tech./ M.E./ M. Des. in machine design/ product design OR Equivalent Qualification.</p> <p>5. Rural Energy & Infrastructure Division – B.E./ B. Tech with M.E/ M. Tech in Mechanical/ Electrical/ Electronics/ Power/ Machine Designs/ Energy/ Civil/ Environment/Post Harvest Technology/ Appropriate rural technologies OR Equivalent Qualification.</p> <p>6. Management & System Division –Master Degree in Computers Science/ Computer Application/ Information Technology/ Artificial Intelligence/ Computer Engineering/ Data Science/ Internet of Things/ MBA or Master in Management in all disciplines. OR Equivalent Qualification.</p> <p>Experience : 15 years' experience in the relevant field for the candidates holding master degree</p>
--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: Yes	1 year	<p>By promotion; failing which by deputation; failing which by Direct recruitment</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/ State Government/Statutory Authorities/ Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed under column 7.</p>	<p>Promotion: Principal Scientific Officer in Level 12 with five years regular service in the grade OR Senior Scientific Officer in Level 11 with ten years regular service in the grade or with ten years combined regular service in the grade PSO (Level 12) & SSO (Level 11) from the respective division</p> <p>Deputation: Officer of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization-- (a)(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the post in the Pay Matrix Level 12. (iii) with ten years regular service in the post in the Pay Matrix Level 11. (b) Possessing educational qualifications specified under column 7.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <p>1. Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises – Chairman.</p> <p>2. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Joint Secretary – Member</p> <p>3. Director, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization - Convener</p>	Not applicable

			<p>successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the date from which the revised pay structure based on the Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended.</p>		
--	--	--	--	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Principal Scientific Officer	*06 (2024) (*) One in each division as mentioned in column No.7 (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'A'. Non Ministerial	Pay Matrix Level - 12	Not applicable	<p>Not exceeding fifty years,</p> <p>Relaxable up to five years for Government servants.</p> <p>Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,</p>	<p>Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes -</p> <p>1. Khadi & Textile Division – Master degree in Textile Technology/ Textile Engineering/ Textile Manufacturing/ Fabric or Garment Designing/Garment Manufacturing/ Textile Chemistry or Processing or Masters in Chemical Engineering.</p> <p>OR</p> <p>Equivalent Qualification.</p> <p>2. Bio-Processing & Herbal Division – M.Sc. in Botany/Plant Sciences/ Zoology/ Bio- Technology/ Micro-Biology or M.Sc. in</p>

					<p>Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, La</p>	<p>Phyto-chemistry/ Medicinal Plant Chemistry /Food Technology, M. Pharm.in Pharmacognosy /Pharmaceutics/ Cosmetic Technology, Masters in relevant Ayurvedic Sciences OR Equivalent Qualification.</p> <p>3. Rural Chemical Industries Division – M.Sc. in Various disciplines of Chemistry (Organic/ Inorganic/ Bio Chemistry/ Environmental Chemistry/Cosmetic Science/ Polymer Science) or M.Sc. in Environmental Sciences/Relevant Bio/ Life - Sciences or Master in Chemical Engineering and Technology/ Polymer Technology</p> <p>OR Equivalent Qualification.</p> <p>4. Rural Craft & Engineering Division – B. Tech with M. Tech./ M.E./ M. Des. in machine design/ product design</p> <p>OR Equivalent Qualification.</p> <p>5. Rural Energy & Infrastructure Division – B.E./ B. Tech with M.E/ M. Tech in Mechanical/ Electrical/ Electronics/ Power/ Machine Designs/ Energy/ Civil/ Environment/Post Harvest Technology/ Appropriate rural technologies</p> <p>OR Equivalent Qualification.</p> <p>6. Management & System Division –Master Degree in Computers Science/ Computer Application/ Information Technology/ Artificial Intelligence/ Computer Engineering/ Data Science/ Internet of Things/ MBA or Master in Management in all disciplines.</p>
--	--	--	--	--	---	---

						<p>OR</p> <p>Equivalent Qualification.</p> <p>Experience :</p> <p>10 years' experience in the relevant field for the candidates holding master degree.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: Yes	1 year	<p>By promotion; failing which by deputation; failing which by Direct recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis' and possessing the qualifications prescribed Under column 7</p>	<p>Promotion : Senior Scientific Officer Level - 11 with five years regular service in the grade from the respective division.</p> <p>Deputation : Officer of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization – (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in Level 11. (c) Possessing educational qualifications specified under column 7</p> <p>Note 1 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises – Chairman. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Joint Secretary – Member. Director, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization - Convener 	Not applicable.

			service rendered on a regular basis by an officer prior to the date from which the revised pay structure based on the Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended.		
--	--	--	--	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Scientific Officer	*06(2024) (*) One in each division as mentioned in column No.7 (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'A' Non Ministerial	Pay Matrix Level -11	Not applicable	Not exceeding forty years, (relaxable up to Five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes - 1. Khadi & Textile Division – Master degree in Textile Technology/ Textile Engineering/ Textile Manufacturing/ Fabric or Garment Designing/Garment Manufacturing/ Textile Chemistry or Processing or Masters in Chemical Engineering. OR Equivalent Qualification. 2. Bio-Processing & Herbal Division – M.Sc. in Botany/Plant Sciences/ Zoology/ Bio- Technology/ Micro-Biology or M.Sc. in Phyto-chemistry/ Medicinal Plant Chemistry/Food Technology, M. Pharm. in Pharmacognosy/ Pharmaceuticals/ Cosmetic Technology, Masters in relevant Ayurvedic Sciences

					<p>Nagaland, Tripura, Sikkim,</p> <p>OR Equivalent Qualification.</p> <p>3. Rural Chemical Industries Division – M.Sc. in Various disciplines of Chemistry (Organic/ Inorganic/ Bio Chemistry/ Environmental Chemistry/Cosmetic Science/ Polymer Science) or M.Sc. in Environmental Sciences/Relevant Bio/ Life - Sciences or Master in Chemical Engineering and Technology/ Polymer Technology OR Equivalent Qualification.</p> <p>4. Rural Craft & Engineering Division – B. Tech with M. Tech./ M.E./ M. Des. in machine design/ product design OR Equivalent Qualification.</p> <p>5. Rural Energy & Infrastructure Division – B.E./ B. Tech with M.E/ M. Tech in Mechanical/ Electrical/ Electronics/ Power/ Machine Designs/ Energy/ Civil/ Environment/Post Harvest Technology/ Appropriate rural technologies OR Equivalent Qualification.</p> <p>6. Management & System Division –Master Degree in Computers Science/ Computer Application/ Information Technology/ Artificial Intelligence/ Computer Engineering/ Data Science/ Internet of Things/ MBA or Master in Management in all disciplines. OR Equivalent Qualification.</p> <p>Experience: 05 years experience in the relevant field for the candidates holding master degree.</p>
--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualification: Yes	2 years.	<p>By promotion; failing which by deputation; failing which by Direct recruitment</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed under column 7.</p>	<p>Promotion : Candidate in Level - 08 with eight years regular service in the grade from the respective division. Or Candidate in Level - 06 with twelve years regular service in the grade from the respective division.</p> <p>Deputation: Officer of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization.</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis; or ii) with five years regular service in the post in the Level 10. Or with eight years regular service in the post in the Level 08.</p> <p>(b) Possessing educational qualifications specified under column 7.</p> <p>Note 1 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the date from which the revised pay structure based on the Central Pay Commission recommendations has been</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation</p> <p>1. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises-Chairman.</p> <p>2. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Deputy Secretary - Member.</p> <p>3. Director, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization – Convener.</p>	Not applicable.

			extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended.		
--	--	--	--	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
System Manager	*01 (2024)	General Central Service Group 'B' Non Ministerial	Pay Matrix Level -8	Not applicable	Not exceeding Thirty years , (relaxable up to five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikk	Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes - Master Degree in Computer Science/ MCA/ applied science or MBA Or equivalent qualification. Experience : 3 year experience in the relevant field

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation , if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualification: No	2 years.	By Direct recruitment; failing which By deputation; Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a	Deputation: Officer of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization. (a)(i) holding analogous post on regular basis; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization	Not applicable.

		duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/ Statutory Authorities/ Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed under column 7	(ii) with two years regular service in the post in the Pay Band 2, Level – 7 Or with six years regular service in the post in the Pay Band 2 Level – 6 b) Possessing educational qualifications specified under column 7.	- Chairman. 2. Officer of MGIRI not below the rank of Principal Scientific Officer – Member 3. Deputy Director of concerned division of MGIRI - Convener	
--	--	--	--	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Foreman	*01 (2024)	General Central Service Group 'B' Non Ministerial	Pay Matrix Level 6	Not applicable	Not exceeding thirty years, (relaxable up to five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim)	Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes - Bachelor's Degree in Engineering/ Technology in Mechanical/ Production/ Industrial Trade Or equivalent Qualification Experience : 2 years experience in the relevant field for the candidates holding above mentioned degree. Or Diploma in Engineering in Mechanical/ Production/ Industrial Trade with 5 years of experience as Mechanic or equivalent

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: No.	2 years.	<p>By promotion; failing which by deputation; failing which by Direct recruitment</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies holding analogous posts on</p>	<p>Promotion : Senior Mechanic (Level 5) with six years regular service in the grade in MGIRI Or Mechanic (Level 4) with 10 years regular service in the grade in MGIRI.</p> <p>Deputation: Officer of the Central Government or a state Government or a Statutory Body or corporation or Autonomous organization— (a)(i) holding analogous post on regular basis; or ii) with six years regular service in the post in the Pay Band - 1, Level 5 Or with ten years regular service in the post in the Pay Band - 1,(Level 4) b) Possessing educational qualifications specified under column 7. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <p>1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization - Chairman. 2. Officer of MGIRI not below the rank of Principal Scientific Officer – Member 3. Deputy Director of concerned division of MGIRI - Convener</p>	Not applicable.

		regular basis' and possessing the qualifications prescribed under column 7.	qualifying/ eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the date from which the revised pay structure based on the Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended.		
--	--	---	---	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Assistant*	*04 (2024) (*) One in each division as mentioned in column No.7	General Central Service Group 'C' Non Ministerial	Pay Matrix Level – 5	Not applicable	Not more than twenty five years, (relaxable up to five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, La	Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes - 1. Khadi & Textile Division –Bachelor Degree in Textile Technology/ Textile Engineering/ Textile Manufacturing/ Fabric or Garment Designing/ Garment Manufacturing/ Textile Chemistry or Processing with overall good academic records. OR Equivalent Qualification. 2. Bio-Processing & Herbal Division – M.Sc. in Life Sciences/ Botany/Plant Sciences/ Zoology/ Bio-Technology/ Micro-Biology or M.Sc. in Phyto-Chemistry/ Medicinal Plant Chemistry/ Food Technology, M. Pharm. in Pharmacognosy/ Pharmaceutics/ Cosmetic Technology with overall good academic records. OR Equivalent Qualification. 3. Rural Chemical Industries Division –

						<p>M.Sc. in Various disciplines of Chemistry (Organic/ Inorganic/ Bio Chemistry/ Environmental Chemistry/Cosmetic Science/ Polymer Science) or M.Sc. in Environmental Sciences or Bachelor in Chemical Engineering and Technology/ Polymer Technology with overall good academic records. OR Equivalent Qualification.</p> <p>4. Rural Energy & Infrastructure Division – B.E./ B. Tech in Mechanical/ Electrical/ Electronics/ Power/ Machine Designs/ Energy/ Civil/ Environment/Post Harvest Technology/ Appropriate rural technologies with overall good academic records. OR Equivalent Qualification.</p> <p>Experience : 02 year experience in the relevant field</p>
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation , if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: No	2 years.	<p>By promotion failing which By deputation failing which By direct recruitment.</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be</p>	<p>Promotion: Senior Lab Assistant (Level-4) from respective divisions with five year regular service in the grade in MGIRI.</p> <p>Deputation : Officer of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <p>1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization - Chairman.</p> <p>2. Officer of MGIRI not below the rank of</p>	Not applicable.

		filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis' and possessing the qualifications prescribed under column 7.	(a)(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the post in Level-4. (b) Possessing educational qualifications specified under column 7.	Principal Scientific Officer – Member 3. Deputy Director of concerned division of MGIRI - Convener	
--	--	--	--	---	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Mechanic		General Central Service Group 'C' Non Ministerial	Pay Matrix Level-5	Not applicable	Not more than twenty five years, (relaxable up to five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, UT of Ladakh, Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential Qualification: Degree from recognized universities / institutes Diploma in Mechanical Engineering/Industrial Production Or Equivalent Qualification Experience : 3 years' experience in the relevant field

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: No	2 years.	<p>By promotion; failing which by deputation; failing which by direct recruitment</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis' and possessing the qualifications prescribed under column 7.</p>	<p>Promotion : Mechanic (Level 4) with five years regular service in the grade in MGIRI</p> <p>Deputation : Officer of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization— (a)(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the post in the Pay Matrix Level -4. (b) Possessing educational qualifications specified under column 7.</p> <p>Note 1 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the date from which the revised pay structure based on the Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <p>1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization - Chairman.</p> <p>2. Officer of MGIRI not below the rank of Principal Scientific Officer – Member</p> <p>3. Deputy Director of concerned division of MGIRI - Convener</p>	Not applicable.

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mechanic	*02(2024)	General Central Service Group 'C' Non Ministerial	Pay Matrix Level-4	Not applicable	Not more than twenty five years, (relaxable up to five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and	Essential Qualification: Degree from recognized universities/institutes - ITI in Turner, Fitter, Welder, Machinist, Foundry Trades Or Equivalent Qualification Experience : 2 years' experience in the relevant field

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: No	2 years.	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies holding	Promotion: This is entry level post. There is no feeder grade post is available.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization - Chairman. 2. Officer of MGIRI not below the rank of Principal	Not applicable.

		analogous posts on regular basis' and possessing the qualifications prescribed under column 7.		Scientific Officer – Member 3. Deputy Director of concerned division of MGIRI – Convener	
--	--	--	--	---	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Laboratory Assistant	*04 (2024)	General Central Service Group 'C' Non Ministerial	Pay Matrix Level-4	Not applicable	Not more than twenty five years, (relaxable up to five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,	Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes - 1. Khadi & Textile Division – Bachelor Degree in Science in the field of Textile Chemistry/ Processing/ Fabric or Garment Designing/ Garment Manufacturing with overall good academic records. Or Diploma in Engineering and Technology in the field of Textile Engineering/ Textile Manufacturing/ Fabric or Garment Designing/ Garment Manufacturing/ Textile Chemistry or Processing with overall good academic records. OR Equivalent Qualification. 2. Bio-Processing & Herbal Division – B.Sc. in Life Sciences (Botany/ Plant Sciences/ Zoology/ Bio-Technology/ Micro-Biology) Or Food Technology Or B. Pharm.

						(Pharmacognosy/ Pharmaceutics/ Cosmetic Technology) with overall good academic records. OR Equivalent Qualification. 3. Rural Chemical Industries Division – B.Sc. in various disciplines of Chemistry (Organic/ Inorganic/ Bio Chemistry/ Environmental Chemistry/Cosmetic Science/ Polymer Science) or Diploma in Chemical Engineering and Technology/ Polymer Technology with overall good academic records. OR Equivalent Qualification. Experience: 2 years' experience in the relevant field.
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: No	2 years.	By promotion; failing which by deputation failing which by Direct recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory	Promotion: Laboratory Assistant (Level 2) with eight years regular service in the grade in respective division of MGIRI. Deputation: Employee of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization—	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization - Chairman. 2. Officer of MGIRI not below the rank of Principal	Not applicable.

		Authorities/Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis' and possessing the qualifications prescribed under column 7.	(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the post in the Pay Band 1, Level-2. (b) Possessing educational qualifications specified under column 7.	Scientific Officer – Member 3. Deputy Director of concerned division of MGIRI - Convener	
--	--	--	--	---	--

Name of the post	Number of post	Classification	Existing Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laboratory Assistant	*03 (2024)	General Central Service Group 'C' Non Ministerial	Pay Matrix Level-2	Not applicable	Not more than twenty five years, (relaxable upto five years for Government servants.) Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	Essential Qualification: Degree from recognized universities/ institutes - 1. Khadi & Textile Division – Bachelor Degree in Science in the field of Textile Chemistry/ Processing/ Fabric or Garment Designing/ Garment Manufacturing with overall good academic records. Or Diploma in Engineering and Technology in the field of Textile Engineering/ Textile Manufacturing/ Fabric or Garment Designing/ Garment Manufacturing/ Textile Chemistry or Processing with overall good academic records. OR Equivalent Qualification. 2. Bio-Processing & Herbal Division – B.Sc. in Life Sciences (Botany/ Plant Sciences/ Zoology/ Bio-Technology/ Micro-Biology) Or Food Technology Or B. Pharm. (Pharmacognosy/

						Pharmaceutics/ Cosmetic Technology) with overall good academic records. OR Equivalent Qualification. 3. Rural Chemical Industries Division – B.Sc. in various disciplines of Chemistry (Organic/ Inorganic/ Bio Chemistry/ Environmental Chemistry/Cosmetic Science/ Polymer Science) or Diploma in Chemical Engineering and Technology/ Polymer Technology with overall good academic records. OR Equivalent Qualification.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No Educational Qualification: No	2 years.	Direct recruitment; failing which by deputation Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis' and possessing the qualifications prescribed under column 7.	Promotion: This is entry level post. There is no feeder grade post is available.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization - Chairman. 2. Officer of MGIRI not below the rank of Principal Scientific Officer – Member 3. Deputy Director of concerned division of MGIRI - Convener	Not applicable.

[F. No. J/145/2023-KVI (2)]

VIPUL GOEL, Jt. Secy.